भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 103

25.11.2024 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं

103. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और निगरानी करने संबंधी मौजूदा प्रणाली क्या है;

(ख) क्या विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई या विस्तारित पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उनकी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मूल्यांकन के प्रावधान हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)
(क):

उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने और उनकी निगरानी करने के लिए किया गया है, जैसा कि उपरोक्त अधिनियमों में निर्धारित है। यूपीपीसीबी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत भी कार्य करता है।

(ख) एवं (ग) :

भारत सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों के आधार पर, एनसीएपी के तहत राष्ट्रीय स्तर का संभावित लक्ष्य वर्ष 2024 तक विविक्त कणों की सांद्रता में 20%-30% की कमी लाना है। वर्ष 2025-26 तक

पीएम$_{10}$ के स्तर में 40% तक की कमी लाने अथवा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (60 µg/m3) को पूरा करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दस लाख से अधिक आबादी वाले/मानकों को पूरा न करने वाले 130 शहरों (ऐसे शहर जिनकी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएक्यूएस) में लगातार पांच वर्षों से वृद्धि हो रही है) की पहचान की है, जिनमें उत्तर प्रदेश के ये 17 शहर शामिल हैं - आगरा, इलाहाबाद, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ। इसके अतिरिक्त ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर शहरों) और उत्तर प्रदेश के अन्य मानकों को न पूरा करने वाले शहरों में भी लागू किया गया है।

ये शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं शहर विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, ठोस अपशिष्ट जलाना, निर्माण सामग्री और उद्योगों को लक्षित करती हैं, जिन्हें अल्पकालिक प्राथमिकता वाली कार्रवाई के साथ-साथ जिम्मेदार एजेंसियों के साथ मध्यम से दीर्घकालिक समय सीमा में कार्यान्वित किया जाना है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य कार्य योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें वाहन, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, सड़क धूल प्रबंधन, बायोमास जलाना और उद्योगों के लिए विशिष्ट कार्य शामिल हैं।

एनसीएपी का उद्देश्य एनसीएपी और 15वीं वित्त आयोग अनुदानों के अलावा राज्य निधियों से वित्त पोषण और एसबीएम 2.0, अमृत, सतत, स्मार्ट सिटी मिशन आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना है, जिनका वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। एनसीएपी और 15वीं वित्त आयोग अनुदान के तहत, वित्तीय वर्ष 2019-20 से आज तक (19.11.2024) उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कुल 2261.03 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 19.11.2024 तक 1698.05 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। एनसीएपी के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 तक एनसीएपी/15वीं वित्त आयोग के तहत प्रदर्शन आधारित निधि/अनुदान जारी किए जा रहे हैं। जारी की गई और उपयोग की गई शहरवार निधि का विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

"प्राण" - मानकों को पूरा न करने वाले शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए एक ऐसा पोर्टल है जिसे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विकसित किया गया है और यह www.prana.cpcb.gov.in पर उपलब्ध है। प्राण का प्रयास एनसीएपी के अंतर्गत शहरों की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नज़र रखना तथा कार्यक्रम के बारे में जनता तक

जानकारी पहुंचाना है। एनसीएपी से संबंधित व्यापक जानकारी जैसे कार्यक्रम विवरण, शहर/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन अपडेट, वायु गुणवत्ता डेटा और रुझान, बहुपक्षीय संगठनों से समर्थन, संदर्भ दस्तावेज, कार्यक्रम, सर्वोत्तम रीतियाँ और सिटीजन्स कार्नर आदि, प्राण पोर्टल के सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

एनसीएपी के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए केंद्र, राज्य और शहर स्तर पर संचालन, निगरानी और कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन उपायों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए सभी दस लाख से अधिक आबादी वाले और मानकों को न पूरा करने वाले 130 शहरों के शहरी स्थानीय निकाय में वायु गुणवत्ता प्रबंधन (एक्यूएम) प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

सीपीसीबी ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क और राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क की स्थापना की है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित एनएएमपी और एनडब्ल्यूएमपी स्टेशनों की संख्या क्रमशः 141 और 163 स्थान (शहरी और ग्रामीण) है। देश में कुल 1524 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (558 सतत और 966 मैनुअल) का नेटवर्क है, जो 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 550 शहरों और देश भर में 4736 जल गुणवत्ता निगरानी स्थानों को कवर करता है।

यमुना, वरुणा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू, आमी, तमसा और सई जैसी 14 नदियों के प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गई है। जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कार्य योजनाएँ लागू की गई हैं। 14 नदियों में 109 बिंदुओं पर निगरानी की गई। वर्ष 2019-2020 की तुलना में वर्ष 2023-2024 में कुल 109 बिंदुओं में से 60 बिंदुओं पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) में सुधार हुआ है।

इसके अलावा, देश में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

एनसीएपी के तहत:

<u>वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 के लिए दिनांक 19.11.2024 तक प्राण पोर्टल के अनुसार एन.सी.ए.पी के अंतर्गत शहरवार स्वीकृत निधि और उपयोगिता विवरण (करोड़ में)</u>

राज्य	क्रम सं.	शहर	स्वीकृत/प्राप्त/जारी निधि							उपयोग की गई निधि							
			वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	कुल	सकल योग	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष FY 21-22	वित्तीय वर्ष Y 22-23	वित्तीय वर्ष Y 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	कुल	सकल योग
			1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5		7	8	9	10	11	12	13=7+8+9+10+11+12	
उत्तर प्रदेश	1	आगरा	9.45					9.45	397.14		3.12	3.57	2.49	0.16	0.01	9.35	313.60
	2	इलाहाबाद/ प्रयागराज	9.45					9.45			2.77	4.59	1.43	0.42	0.24	9.45	
	3	कानपुर	9.45					9.45			1.95	2.56	2.86	1.26	0.00	8.63	
	4	लखनऊ	9.45					9.45			0.53	5.73	2.27	0.62	0.04	9.19	
	5	वराणसी	9.47					9.47			1.50	4.19	3.39	0.21	0.24	9.53	
	6	मुरादाबाद	0.2	1.90		33.20	43.79	79.09			0.01		1.75	27.66	31.48	60.90	
	7	बरेली	0.2	1.9		23.	48.	73.35			0.0		1.9	24.	29.9	56.68	

राज्य	क्रम सं.	शहर	स्वीकृत/प्राप्त/जारी निधि							उपयोग की गई निधि							
			वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	कुल	सकल योग	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष FY 21-22	वित्तीय वर्ष Y 22-23	वित्तीय वर्ष Y 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	कुल	सकल योग
			1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5		7	8	9	10	11	12	13=7+8+9+10+11+12	
				0		03	22				1		1	77	9		
	8	फिरोजाबाद	0.2	1.90		18.83	26.85	47.78			0.01		1.65	21.35	17.17	40.18	
	9	झांसी	0.2	1.14		5.70	4.04	11.08			0.01		1.09	5.65	4.23	10.98	
	10	खुर्जा	0.1	1.90		6.96	9.41	18.37			0.01		1.55	6.62	5.53	13.71	
	11	अनपारा	0.1	1.14		0.72	0.45	2.41			0.01		0.79	1.31		2.11	
	12	गजरौला	0.1	1.14		2.43	0.74	4.41			0.01		0.66	2.34		3.01	
	13	रायबरेली	0.1	1.14		5.88	8.50	15.62			0.01		5.70	5.70	1.56	12.97	
	14	गोरखपुर			9.64	27.87	29.36	66.87						39.00	24.47	63.47	
	15	नोएडा			6.67	15.28	8.94	30.89						1.43	2.01	3.44	
कुल			**48.47**	**12.16**	**16.31**	**139.9**	**180.3**	**397.14**			**9.95**	**20.64**	**27.54**	**138.5**	**116.97**	**313.60**	

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत:

वित्त वर्ष 2020-21 **से वित्त वर्ष** 2023-24 (**दिनांक** 19.11.24 **तक) तक 15वें वित्त आयोग के तहत शहर-वार स्वीकृत निधि और उपयोग विवरण प्राण पोर्टल के अनुसार (करोड़ में)**

राज्य	क्र. म. सं.	शहर	जारी निधि						उपयोग की गई निधि						
			वितीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	सकल योग	कुल	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	कुल	कुल
			1	2	3	4	5=1+2+3+4		6	7	8	9	10	11=6+7+8+9+10	
उत्तर प्रदेश	1	आगरा श. क्षे.	90.00	11.25	65.22	108.97	275.44	1863.89	0.00	34.86	32.17	80.98	19.71	167.71	1384.45
	2	इलाहाबाद/ प्रयागराज श. क्षे.	62.00	38.35	70.98	32.54	203.87		5.43	48.79	51.42	53.70	16.31	175.65	
	3	गाजियाबाद श. क्षे.	121.00	15.25		17.17	153.42		0.00	39.79	34.64	58.12	4.16	136.71	
	4	कानपुर श. क्षे.	148.00	63.60	28.29	147.90	387.79		0.00	72.42	103.28	72.77	25.96	274.43	
	5	लखनऊ श.	14	25.18	203.20		393.37		0.00	98.06	57.46	117.01	61.88	334.41	

राज्य	क्र. म. सं.	शहर	जारी निधि						उपयोग की गई निधि						
			वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	सकल योग	कुल	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	कुल	कुल
			1	2	3	4	5=1+2+3+4		6	7	8	9	10	11=6+7+8+9+10	
		क्षे.	8.00			16.99									
	6	मेरठ श. क्षे.	72.00	13.59	53.60	14.43	153.62		6.93	20.67	23.12	67.13	18.97	136.81	
	7	वराणसी श. क्षे.	73.00	35.10	111.64	76.63	296.37		0.00	10.62	31.64	77.89	38.59	158.73	
कुल			**714**	**202.32**	**532.93**	**414.63**	**1863.88**		**12.36**	**325.21**	**333.73**	**527.6**	**185.58**	**1384.45**	

अनुलग्नक-।।

देश में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन हेतु उठाए गए कदम

1.0 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम :

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरूआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में की गई है, जिसका उद्देश्य 24 राज्यों के 130 शहरों (वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में सभी हितधारकों को नियोजित करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

- एनसीएपी में वर्ष 2017 की आधार रेखा की तुलना में वर्ष 2024 तक PM_{10} की सांद्रता में 20-30 प्रतिशत तक कमी लाने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2025-26 तक PM_{10} स्तर में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानकों ($60\mu g/m^3$) को हासिल करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है।

- सभी 130 शहरों द्वारा शहरी कार्य योजनाएं (सीएपी) तैयार की गई हैं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

- शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) जलाने, निर्माण सामग्री और उद्योगों जैसे शहर विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों पर लक्षित हैं।

- शहरी कार्य योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए इन 130 शहरों को कार्य निष्पादन आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- इसके अलावा, शहर कार्य योजनाओं (सीएपी) के कार्यान्वयन के लिए धनराशि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम (शहरी), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी), स्मार्ट सिटी मिशन, किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण (फेम-II), नगर वन योजना आदि से प्राप्त संसाधनों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और इसकी एजेंसियों जैसे नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों आदि से प्राप्त संसाधनों के बीच समन्वय के माध्यम से जुटाई जा रही है।

- वायु प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए सभी 130 शहरों में लोक शिकायत निवारण पोर्टल (पीजीआरपी)/हेल्पलाइन विकसित की गई है।

- वायु प्रदूषण संबंधी आपात स्थितियों में कार्रवाई करने के लिए सभी 130 शहरों द्वारा आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली (ईआरएस/जीआरएपी) विकसित की गई हैं।

- वित्त वर्ष 2017-18 के स्तरों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक पीएम 10 सांद्रता के संदर्भ में 130 शहरों में से 95 शहरों ने वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है।

2.0 वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय:

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 01 अप्रैल, 2018 से बीएस-IV मानकों को सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों में परिवर्तित करना।
- अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बीएस- IV मानकों को अपनाने वाले वाहनों की शुरूआत।
- वाहन में ईंधन भरते समय होने वाले उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों तथा एक लाख से दस लाख की आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले पंपों में वाष्प रिकवरी प्रणाली (वीआरएस) की संस्थापना।
- भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024) के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना
- किफायती परिवहन की दिशा में संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी) को कंप्रेस्ड योग-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग के लिए सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने की एक पहल के रूप में शुरू किया गया है।

इनके अलावा, एनसीआर के मामले में की गई विशिष्ट कार्रवाई नीचे दी गई है:

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू किया गया।
- पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू किया जाएगा ताकि दिल्ली से गुजरने वाले यातायात को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके।
- सीएक्यूएम द्वारा दिल्ली सरकार और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विशेष रूप से एनसीआर में बसों को स्वच्छतर साधनों में परिवर्तित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के किसी भी शहर/कस्बे के बीच चलने वाली सभी राज्य सरकारों की बस सेवाएं 01.11.2023 से केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशानुसार 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली-एनसीआर में 3256 पेट्रोल पंपों पर वीआरएस प्रणाली की स्थापना।

3.0 औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण के उपाय

- स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करने और अनुपालन को प्रभावी बनाने के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को ओसीईएमएस स्थापित करने का निदेश दिया। उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत 4,315 इकाइयाँ हैं, जिनमें से 3,734 इकाइयों ने ओसीईएमएस स्थापित कर लिया है और 581 इकाइयों को बंद करने के निदेश अभी भी लागू हैं।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I: 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के

उत्सर्जन या निस्सरण के मानक' के तहत उद्योग विशिष्ट निस्सरण मानकों को अधिसूचित करता है। अब तक, 79 औद्योगिक क्षेत्रों (56 क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों सहित) के लिए उद्योग विशिष्ट पर्यावरण मानकों को अधिसूचित किया गया है। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र, जिनके लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उन पर पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होंगे।

- देश में केवल अनुमत्त प्रसंस्करणों में उपयोग को छोड़कर, 26 जुलाई, 2018 से आयातित पेट्ट कोक के प्रयोग पर प्रतिबंध

- सीपीसीबी ने सकल यांत्रिक शक्ति 800 किलोवाट तक के डीजल पावर जेनरेटिंग सेट इंजनों के लिए रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (आरईसीडी) के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया जारी की है।

इनके अलावा, एनसीआर के मामले में की गई विशिष्ट कार्रवाई नीचे दी गई है:

- दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना।
- दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां पीएनजी/स्वच्छतर ईंधन पर परिवर्तित हो गई हैं, तथा एनसीआर में परिचालन इकाइयां पीएनजी/बायोमास पर परिवर्तित हो गई हैं।
- दिल्ली और एनसीआर में ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदलने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा में 1762 भट्टे, उत्तर प्रदेश में 1024 भट्टे और राजस्थान में 217 भट्टे सहित कुल 4608 ईंट भट्टों में से 3003 भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदल दिया गया है। जिन ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में नहीं बदला गया है, उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं है।
- डीजी सेट उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी दिल्ली-एनसीआर में सरकारी अस्पतालों में डीजी सेटों के रेट्रोफिटमेंट/उन्नयन के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- 24 अक्टूबर, 2017 से एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट्ट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- दिल्ली-एनसीआर में 01.01.2023 से अनुमोदित ईंधनों की सूची लागू है। तकनीकी, प्रौद्योगिकीय और प्रक्रिया आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट उद्योगों द्वारा अन्य ईंधन की विशिष्ट आवश्यकता को छोड़कर, केवल पीएनजी या बायोमास पर चलने वाले उद्योगों को ही एनसीआर में अनुमति दी गई है। एनसीआर में 7759 ईंधन आधारित उद्योगों में से 7449 को अनुमोदित किए गए ईंधनों पर परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि शेष 310 उद्योग बंद होने की स्थिति में हैं।
- एनसीआर में अनुपालन हेतु बायोमास आधारित बॉयलरों के लिए कड़े पीएम उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

4.0 दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय:

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की थी। उक्त योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। 2018-2024 के दौरान उक्त योजना के तहत दिल्ली और अन्य राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि 3398.56 करोड़ रुपये है, जिसका उपयोग करके 2.7 लाख से अधिक फसल अवशेष मशीनरी व्यक्तिगत किसानों और सीएचसी को वितरित की गई हैं और 39,000 से अधिक सीएचसी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना को सहायता प्रदान करने के लिए योजना के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित किया।

- धान की पराली के बाह्य स्थाने प्रबंधन में सहायता देने वाली योजनाओं/पहलों के अभिसरण के लिए विशेष सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है।

- सीएक्यूएम ने एनसीआर में औद्योगिक ईंधन के रूप में पीएनजी या बायोमास के उपयोग की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं, सिवाय दिल्ली के, जहां केवल पीएनजी को औद्योगिक ईंधन के रूप में अनुमति दी गई है। सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित थर्मल पावर प्लांट्स और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव पावर प्लांट्स में कोयले के साथ 5-10% बायोमास को सम्मिश्रित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

- सीएक्यूएम द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने और नियंत्रित करने के लिए संशोधित कार्य योजना को सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए गए।

- सीपीसीबी ने धान की पराली पर आधारित पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन प्लांट लगाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और उत्तरी क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों में धान की पराली को खुले में जलाने की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से उपयोग के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत, 10 प्लांट (पंजाब में मनसा- 03, पटियाला- 01, होशियारपुर- 01, अमृतसर- 01, रूपनगर-01, भटिंडा-01 और हरियाणा में सिरसा-01, पलवल-01) 40 टीपीएच की संचयी क्षमता के साथ कार्यरत हैं।

5.0 वायु गुणवत्ता निगरानी और नेटवर्क:

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। दैनिक वायु गुणवत्ता बुलेटिन के माध्यम से जनता तक जानकारी प्रसारित की जा रही है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क: देश में 1524 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (588 सतत और 966 मैनुअल) का नेटवर्क है, जो 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 550 शहरों को कवर करता है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक केन्द्रीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल संचालित किया जाता है, जिसमें प्रति घंटे पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों के लाइव वायु गुणवत्ता डेटा और लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी विभिन्न सूचनाओं को ट्रैक किया जाता है।
- सीपीसीबी की वेबसाइट पर दैनिक एक्यूआई बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें पूरे भारत के शहरों की एक्यूआई जानकारी दी जाती है।

6.0 निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट

- सीपीसीबी द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए (सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध)
    1. मार्च, 2017 में निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्टों का पर्यावरणीय प्रबंधन
    2. नवंबर 2017 में 'निर्माण सामग्री और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन में धूल उपशमन उपायों संबंधी दिशानिर्देश'।
    3. खुले में जलाने और लैंडफिल की आग से निपटने के लिए जैव-खनन और जैव-उपचार द्वारा पुराने अपशिष्ट का निपटान।
- सीपीसीबी ने 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली निर्माण परियोजनाओं/स्थलों पर एंटी-स्मॉग-गन लगाना और पर्याप्त धूल शमन उपायों के कार्यान्वयन के लिए सभी सीपीसीबी/पीसीसी को निदेश जारी किया है। सीपीसीबी ने निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन के प्रयोग हेतु दिशा निर्देश/प्रणाली जारी की है।

इसके अलावा, एनसीआर के मामले में विशिष्ट कार्रवाई नीचे दी गई है:

- सीएंडडी स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाने और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए डीपीसीसी और एनसीआर एसपीसीबी को निर्देश जारी किए गए।
- एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ" स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए।
- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र (वेब पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया।

7.0 दिल्ली-एनसीआर में तकनीकी कार्यकलाप

- सीपीसीबी द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न नई तकनीकों का परीक्षण अध्ययन किया गया है, जिसमें निर्माण स्थलों पर उत्सर्जन और सड़क की धूल पर नियंत्रण

के लिए धूल रोकने के मामले में उत्साहजनक परिणाम देखे गए हैं। दिल्ली-एनसीआर में सड़क मालिकों और निर्माण एजेंसियों द्वारा धूल रोकने के उपकरणों के उपयोग के लिए परामर्शिका जारी की गई है।

8.0 दिल्ली-एनसीआर में गहन निगरानी और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन

- दिसंबर 2021 से सीपीसीबी ने सीएक्यूएम की सहायता के लिए 40 टीमों को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों, सीएंडडी साइटों, डीजी सेटों का गुप्त निरीक्षण करने के लिए तैनात किया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कार्यान्वयन स्थिति और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्य प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जा सके। 08 नवम्बर, 2024 तक कुल 18976 इकाइयों/संस्थाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया है। इन निरीक्षणों के आधार पर, सीएक्यूएम ने 1122 मामलों में बंद करने के निर्देश जारी किए हैं और इनमें से 862 मामलों में बहाली के आदेश जारी किए गए हैं जबकि 166 मामले अभी भी बंद करने की प्रक्रिया में हैं और 94 शेष इकाइयों के मामले अंतिम निर्णय के लिए एसपीसीबी/डीपीसीसी को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

- वर्ष 2023 में पराली जलाने के मौसम (10.11.23 से आगे) के दौरान, पंजाब के 22 जिलों और हरियाणा के 11 जिलों में धान की पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई को तेज करने के लिए एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम की सहायता के लिए सीपीसीबी के 33 वैज्ञानिकों को उड़न दस्तों के रूप में तैनात किया गया था। इन उड़न दस्तों ने राज्य सरकार/नोडल अधिकारियों/संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ समन्वय किया और सीएक्यूएम को अपनी दैनिक रिपोर्ट भेजी।

- इस वर्ष भी पराली जलाने के संबंध में गहन निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई के लिए 01 अक्टूबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक 26 टीमों को लगाया गया है। 26 टीमों में से 16 टीमें पंजाब में और शेष 10 टीमें हरियाणा में तैनात की गई हैं।

9.0 नियमित हितधारक परामर्श, आम जन एवं मीडिया आउटरीच:

- सीपीसीबी ने एक मोबाइल ऐप यानी 'समीर' विकसित किया है, जिसमें एक्यूआई सहित विभिन्न मापदंडों का रियल-टाइम परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा भी दिया गया है। समीर ऐप एनसीआर क्षेत्र में भी जनता को वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में भी जनता की सुविधा प्रदान करता है और ऐसी शिकायतें विभिन्न स्थानीय एजेंसियों को सौंपी जाती हैं।
- जन-सम्पर्क के लिए समर्पित मीडिया कार्नर, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट भी बनाए गए हैं।
- समीर ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत निवारण की निगरानी की जाती है और निवारण की स्थिति को संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।
- दैनिक एक्यूआई स्थिति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाती है। वायु प्रदूषण, पटाखे, वाहन प्रदूषण, पराली जलाना, सतत जीवन शैली आदि से संबंधित विभिन्न अभियानों के साथ-साथ सूचनात्मक पोस्ट भी नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाते हैं।

- सीपीसीबी दैनिक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें दिल्ली और एनसीआर के शहरों का एक्यूआई, तुलनात्मक एक्यूआई स्थिति, पीएम सांद्रता के वर्षवार रुझान, दिन के हॉटस्पॉट, एएफई गणना, पराली जलाने का योगदान और मौसम संबंधी पूर्वानुमान शामिल होता है। यह रिपोर्ट विभिन्न स्रोतों जैसे आईएमडी, सफर, आईएआरआई आदि से उपलब्ध इनपुट के आधार पर तैयार की जाती है और सीपीसीबी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

10.0 दिल्ली-एनसीआर में नियामक कार्रवाई:

- वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि के मुद्दे से निपटने हेतु दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया था, जिसे जनवरी, 2017 में सीपीसीबी की सिफारिश पर कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। हाल के वर्षों में वायु गुणवत्ता के संबंध में किए गए कार्यों और देखे गए सुधार के आधार पर सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2020 में जीआरएपी के तहत सूचीबद्ध कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई थी। सीपीसीबी द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर, संशोधित जीआरएपी को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके कार्यान्वयन के लिए आगे के निर्देश जारी किए गए थे। जीआरएपी के तहत विभिन्न एक्यूआई स्तरों के लिए सूचीबद्ध कार्यों को समय-समय पर सीएक्यूएम द्वारा गठित एक उप-समिति द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें सीपीसीबी एक सदस्य होता है।
- दिल्ली/एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के लिए, एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जुलाई 2022 में एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है, जिसमें एनसीआर राज्यों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय सीमा और कार्यान्वयन योजना के साथ-साथ क्षेत्र-विशिष्ट कार्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं। नीतिगत ढांचे में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार कार्यकलाप, निर्धारित लक्ष्य और समय सीमा का विवरण दिया गया है।
- सीएक्यूएम द्वारा विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय जैसे कि डीजी सेट में आरईसीडी सिस्टम/डबल फ्यूल किट लगाना, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल ईंधन का उपयोग, सीएंडडी स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का क्रियान्वयन आदि, निर्धारित करने के निदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सीपीसीबी भी एक सदस्य है और उसके द्वारा सीएक्यूएम को तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीति भी तैयार की गई है।

अनुलग्नक- III

जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय नीचे दिए गए हैं-

• भारत सरकार ने जलाशयों के संरक्षण के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न प्रावधानों को लागू किया है और केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जलीय संसाधनों के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 दोनों के प्रावधानों को लागू कर रहे हैं।

• एसपीसीबी/पीसीसी को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के तहत निर्देश दिया गया है कि वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों को मल-जल शोधन के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने का निर्देश दें।

• भारत सरकार ने जलाशयों में प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत सामान्य निर्वहन मानक और उद्योग विशिष्ट अपशिष्ट निर्वहन मानक निर्धारित किए हैं।

• जलाशयों की बहाली/कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के मार्गदर्शन के रूप में सीपीसीबी द्वारा जलाशयों की बहाली के लिए सांकेतिक दिशानिर्देश' जारी किए गए हैं।

• देश में 01 जनवरी, 2021 से जलाशयों में मूर्ति विसर्जन पर संशोधित दिशानिर्देश लागू किए जा रहे हैं।

• सीपीसीबी ने जलाशयों की बहाली के लिए कार्य योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हितधारकों के लिए 30.01.2020 को 'जलाशयों की बहाली' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

• सीपीसीबी ने दिनांक 17.02.2023 के पत्र के माध्यम से सभी एसपीसीबी/पीसीसी से अनुरोध किया कि वे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17.1.(क) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थिर जलाशयों के प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने/उपशमन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

• सीपीसीबी ने उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों, गंगा बेसिन के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों और सामान्य अपशिष्ट शोधन सुविधाओं की सभी 17 श्रेणियों को ऑनलाइन सतत उत्सर्जन/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सके और स्व-नियामक तंत्र तथा प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के माध्यम से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ओसीईएमएस के माध्यम से उत्पन्न व्यापारिक अपशिष्ट और उत्सर्जन के पर्यावरण प्रदूषकों के वास्तविक समय के आंकड़ों को 24x7 आधार पर सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय सॉफ्टवेयर डेटा को तैयार करता है और यदि प्रदूषक पैरामीटर की मात्रा निर्धारित पर्यावरण मानदंडों से अधिक हो जाता है, तो एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट तैयार होता है और औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजा जाता है, ताकि नियमित अनुपालन सुनिश्चित करने और बंद करने सहित विभिन्न कार्रवाइयों को रोकने के लिए उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सकें (मुख्य रूप से ऐसे मामले में जिसमें पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने की संभावना हो)।

इसके अलावा, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए सीपीसीबी द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

• नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वर्ष 2017 से गंगा के मुख्य तटवर्ती राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में संचालित अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। वर्ष 2020 से, यमुना के मुख्य तटवर्ती राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कार्यरत जीपीआई को भी वार्षिक निरीक्षण के लिए शामिल किया गया।

• पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की औद्योगिक श्रेणियों के लिए उद्योग-विशिष्ट निर्वहन मानकों को अधिसूचित किया गया है। उद्योगों को अपशिष्ट जल को अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) के माध्यम से पर्याप्त शोधन प्रदान करना आवश्यक है ताकि अधिसूचित अपशिष्ट जल निर्वहन मानकों को पूरा किया जा सके। चूक करने वाले उद्योगों को उचित निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनमें कारण बताओ नोटिस और बंद करने के निर्देश शामिल हैं।

• जिन जीपीआई को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, उनका भौतिक सत्यापन, सीलिंग और बिजली कनेक्शन काटने का कार्य जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से लागू किया जाता है।

• चार्टर, जो प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और ईटीपी प्रणाली के उन्नयन का एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, को लुगदी और कागज, चीनी, आसवनी, कपड़ा और चमड़ा उद्योग जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ताजे पानी की खपत, अपशिष्ट जल निर्वहन और प्रदूषण भार में कमी आई और अनुपालन में सुधार हुआ।

• गंगा और उसकी सहायक नदियों अर्थात् बाणगंगा, रामगंगा, काली-पूर्व, पांडु, यमुना, मूर्वा/वरुणा, जरगो/ओझाला और अन्य में गिरने वाले 716 नालों की निगरानी अर्ध-वार्षिक आधार पर (मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात) की जा रही है।

• उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे गंगा के मुख्य तटवर्ती राज्यों के गंगा तटवर्ती शहरों में 147 सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की निगरानी त्रैवार्षिक आधार पर की जा रही है।

• पांच राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 112 स्थानों पर गंगा नदी की जल गुणवत्ता की मैनुअल निगरानी संबंधित एसपीसीबी के सहयोग से पाक्षिक आधार पर की जा रही है।

• सीपीसीबी ने छह नदियों के जल की गुणवत्ता के कायाकल्प/बहाली के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं, जिनका विवरण है- (i) वर्ष 2019 के दौरान काली-पूर्व नदी (ii) वर्ष 2021 के दौरान वरुणा, अस्सी, मोरवा और बसुही नदियाँ और (iii) वर्ष 2023 के दौरान हिंडन नदी और उसकी सहायक नदियाँ (धमोला, काली-पश्चिम और कृष्णी)।